

॥ कार्यालय जिला न्यायालय, हरिद्वार ॥

निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी सूचना

विषय— जिला न्यायालय, मुख्यालय हरिद्वार/रूड़की/लक्सर के न्यायालयों एवं कार्यालयों के निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी के सम्बन्ध में।

नीलामी की तिथि— 27.10.2025 (सोमवार)।

समय— सांय 04.00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी।

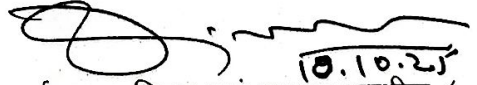
स्थान— जिला न्यायालय, मुख्यालय हरिद्वार।

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय, हरिद्वार के न्यायालयों एवं कार्यालयों में निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी जिला न्यायालय परिसर, मुख्यालय हरिद्वार में दिनांक **27.10.2025 को दिन में सांय 04:00 बजे से 05.00 बजे** के मध्य स्थाई अनुप्रयोगिता समिति, जिला न्यायालय हरिद्वार के अध्यक्ष एवं सदस्यगण की उपस्थिति में की जानी है।

बोलीदाता केन्द्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अनुमोदित ई-कचरा पुनर्चक्रणकर्ता/संग्राहक/विघटनकर्ता या संबंधित क्षेत्र के निर्माता/उत्पादक होने चाहिए और नीलामी में प्रतिभाग करने से पहले उक्त से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

जो व्यक्ति/फर्म उक्त नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, वे निर्धारित शर्तों की जानकारी हेतु उक्त दिनांक से पूर्व नज्दत अनुभाग, जिला न्यायालय हरिद्वार कार्यालय, न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट <https://haridwar.dcourts.gov.in>, पर टेंडर लिंक(Tendor) में एवं नोटिस बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी हेतु जिला न्यायालय हरिद्वार में केन्द्रीय साध्यपाल को कार्यालय दूरभाष नंबर 01334-239700 पर संपर्क किया जा सकता है।

अध्यक्ष,


चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/,
अध्यक्ष, स्थाई अनुप्रयोगिता समिति,
जिला न्यायालय, हरिद्वार।

॥ कार्यालय जिला न्यायालय, हरिद्वार ॥

निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी सूचना

विषय— जिला न्यायालय, मुख्यालय हरिद्वार/रूड़की/लक्सर के न्यायालयों एवं कार्यालयों के निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी के सम्बन्ध में।

नीलामी की तिथि— 27.10.2025 (सोमवार)।

समय— सांय 04.00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी।

स्थान— जिला न्यायालय, मुख्यालय हरिद्वार।

सार्वजनिक नीलामी के लिए नियम एवं शर्तें—

1. स्थाई अनुपयोगिता समिति, जिला न्यायालय, हरिद्वार को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली/नीलामी प्रक्रिया को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। उक्त समिति बिना कोई कारण बताए नीलामी के लिए प्रस्तावित किसी भी वस्तु को नीलामी से वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
2. बोलीदाताओं को केन्द्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण समिति से अनुमोदित ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ता/संग्राहक/विघटनकर्ता के रूप में पंजीकृत या संबंधित वस्तु के उत्पादक होने चाहिए एवं नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पहले उक्त संबंध का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाता को भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन के किसी भी विभाग द्वारा वर्ज्य सूची (Black List) में नहीं डाला गया हो।
3. नीलामी में प्रतिभाग करने वाले समस्त बोलीदाताओं को सार्वजनिक नीलामी की शर्तों पर सहमति के पश्चात् ही प्रतिभाग करना अपेक्षित है एवं जमानत धनराशि के रूप में ₹ 2,000 (मात्र दो हजार रुपये) नकद दिनांक 25.10.2025 को अपराह्न 01:00 बजे तक नजारात अनुभाग, जिला न्यायालय हरिद्वार में जमा करने होंगे, जो नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त असफल बोलीदाताओं को नियमानुसार वापस कर दी जाएगी।
4. जमानत धनराशि को जमा करने हेतु प्रपत्र कार्यालय जनपद न्यायालय, हरिद्वार के नजारात अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं एवं उक्त प्रपत्र कार्यालय जनपद न्यायालय, हरिद्वार की वेबसाइट <https://haridwar.dcourts.gov.in> पर टेंडर लिंक(Tendor) पर भी उपलब्ध रहेगा।
5. नीलामी के लिए प्रस्तावित स्क्रेप वस्तुओं का निरीक्षण प्रस्तावित बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 10.10.2025 के बाद से दिनांक 25.10.2025 तक किसी भी कार्यदिवस को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे के मध्य, जिला न्यायालय, हरिद्वार एवं दीवानी न्यायालय रूड़की एवं लक्सर में,

केन्द्रीय साध्यपाल को सूचित करने और नजारत अनुभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है।

6. नीलामी में बोली लगाने की अनुमति देने से पहले, सभी बोलीदाताओं से लिखित रूप में नियम व शर्तों की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। बोलीदाताओं को विधिवत रूप से भरा हुआ अनुलग्नक- I मूल मय पैन कार्ड, जीएसटी और सी0पी0सी0बी0/एस0पी0सी0बी0 द्वारा जारी किए गए विघटनकर्ता/पुनर्संसाधनकर्ता/पुनर्चक्रणकर्ता के पंजीकरण की स्व-सत्यापित छायाप्रतियों के साथ प्रस्तुत करना होगा।

7. बोलीदाताओं को चेतावनी दी जाती है कि वे इस कार्यालय को नीलामी की जाने वाली वस्तुओं के उचित मूल्य की प्राप्ति में बाधा डालने के लिए कोई सांठ-गांठ न बनाएँ और नीलामी प्रक्रिया के दौरान यदि ऐसा कोई तथ्य पाया जाता है कि बोलीदाताओं द्वारा सांठ-गांठ बना लिया है, तो उन्हें नीलामी में भाग लेने से रोका जा सकता है और समिति को नीलामी रोकने का अधिकार होगा।

8. नीलामी प्रक्रिया में अधिकतम बोली लगाने वाले को बोलीदाता को उक्त उपकरण विक्रय किये जायेंगे। जिस बोलीदाता की अंतिम बोली स्वीकार की जाएगी, उस बोलीदाता को नीलामी की स्वीकृत संपूर्ण धनराशि नगद तुरन्त जमा करनी होगी, कोई चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट इत्यादि स्वीकार नहीं किया जायेगा, यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी बोली रद्द मान ली जाएगी और उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी एवं अगले उच्चतम बोलीदाता को दे दी जाएगी, बशर्ते उसकी बोली और उच्चतम बोलीदाता से बयाना राशि के रूप में प्राप्त राशि, उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली से कम न हो। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती है, तो स्थाई अनुपयोगिता समिति, जिला न्यायालय, हरिद्वार द्वारा उचित समझे जाने पर बोलीदाता को कोई सूचना दिए बिना वस्तुओं की पुनः नीलामी की जाएगी।

10. नीलाम की गई वस्तुओं की किसी भी बोली की स्वीकृति स्थाई अनुपयोगिता समिति, जिला न्यायालय, हरिद्वार द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।

11. रद्दी वस्तुओं की नीलामी 'जहाँ और जैसी स्थिति में' (As is where is basis) की जाएगी।

12. नीलाम की गई वस्तुएँ उच्चतम बोली लगाने वाले को तभी सौंपी जाएँगी जब उसके द्वारा पूर्ण और अंतिम भुगतान कर दिया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटाने की अनुमति दी जाएगी। वह न्यायालय के केन्द्रीय साध्यपाल या स्थाई अनुपयोगिता समिति, जिला न्यायालय, हरिद्वार द्वारा अधिकृत अधिकारी, जनपद न्यायालय, हरिद्वार की उपस्थिति में सामग्री हटाएगा।

13. जिस बोलीदाता की अंतिम बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार और अनुमोदित की जाएगी, वह 02 दिनों के भीतर न्यायालय परिसर से सामग्री को अपने खर्चे पर हटाने के लिए जिम्मेदार होगा। जिसके पश्चात सामग्री, अगले उच्चतम बोलीदाता को दे दी जाएगी।

14. न्यायालय परिसर से सामग्री हटाते समय इस कार्यालय की मौजूदा संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। सफल बोलीदाता की लापरवाही या कार्यवाही के कारण इस

कार्यालय की संपत्ति को होने वाली किसी भी हानि/क्षति या चोट का वहन सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।

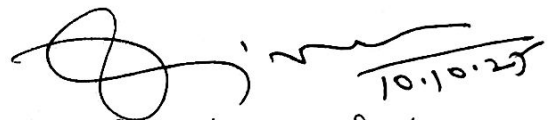
15. नीलामी की शर्तों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, स्थाई अनुपयोगिता समिति, जिला न्यायालय, हरिद्वार का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

16. नीलामी के संबंध में किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र जिला न्यायालय हरिद्वार में होगा।

17. नीलाम की गई वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य नीलामी के समय सूचित किया जाएगा।

18. सफल बोलीदाता को अनुबंध में एक वचनबद्धता (Annexure- I) प्रस्तुत करनी होगी कि पुराने/अप्रचलित/अनुपयोगी कंप्यूटर हार्डवेयर आदि से बने ई-कचरा आइटमों को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के अनुसार संग्रहीत/प्रसंस्कृत/निपटान किया जाएगा।

19. सभी लागू कर, यदि कोई हों, स्वीकार्य दरों पर, सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किए जाने होंगे।



चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/,
अध्यक्ष, स्थाई अनुपयोगिता समिति,
जिला न्यायालय, हरिद्वार।

पत्रांक :- 1292 /2025/हरिद्वार

दिनांकित 10 अक्टूबर, 2025.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय, हरिद्वार तथा डिप्टी नाजिर बाह्य न्यायालय, रुड़की/लक्सर को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने-अपने कार्यस्थल पर नोटिस बोर्ड पर चरपा कराना सुनिश्चित करें।
2. सिस्टम अधिकारी, जिला न्यायालय हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त सूचना को जिला न्यायालय हरिद्वार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. डिप्टी नाजिर जनपद न्यायालय हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त सूचना का वृहत प्रचार-प्रसार एवं सुलभ सार्वजनिक स्थानों पर चरपा कराना सुनिश्चित करें।
4. कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के नोटिस बोर्ड पर चरपा किये जाने हेतु।
5. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार नोटिस बोर्ड पर चरपा किये जाने हेतु।
6. कार्यालय जिला पंचायत, हरिद्वार नोटिस बोर्ड पर चरपा किये जाने हेतु।
7. कार्यालय नगर पालिका, हरिद्वार के नोटिस बोर्ड पर चरपा किये जाने हेतु।
8. जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार नीलामी सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
9. गार्ड- फाईल।



चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/,
अध्यक्ष, स्थाई अनुपयोगिता समिति,
जिला न्यायालय, हरिद्वार।

जिला न्यायालय, हरिद्वार के न्यायालयों एवं कार्यालयों में निष्प्रयोज्य/अनुपयोगी कम्प्यूटरउपकरणों की नीलामी हेतु पात्रता प्रपत्र।वचनबद्धता

क्रमांक	विवरण	जानकारी
1	आवेदक/फर्म का नाम	
2	पता	
3	संपर्क विवरण	टेलीफोन मोबाइल नंबर फैक्स नंबर ई-मेल आईडी
4	फर्म/एजेंसी के मालिक/ भागीदारों/ निदेशकों का नाम	
5	अन्य विवरण (संलग्न प्रति)	पैन नंबर जीएसटी पंजीकरण संख्या केंद्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या

मैं/हम एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी/हमारी फर्म/कंपनी/व्यावसायिक संस्था किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त संगठन आदि द्वारा वर्ज्य सूची (Black List) नहीं की गई है या किसी भी न्यायालय द्वारा अभियोजित नहीं है तथा उक्त नीलामी से प्राप्त, जिला न्यायालय हरिद्वार के न्यायालयों एवं कार्यालयों में निष्प्रयोज्य/अनुपयोगी कम्प्यूटर उपकरणों का भंडारण/प्रसंस्करण/निपटान इत्यादि ई- अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

दिनांक—

(व्यक्ति का नाम) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, मुहर सहित